(24)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंण्डल ग्वालियर

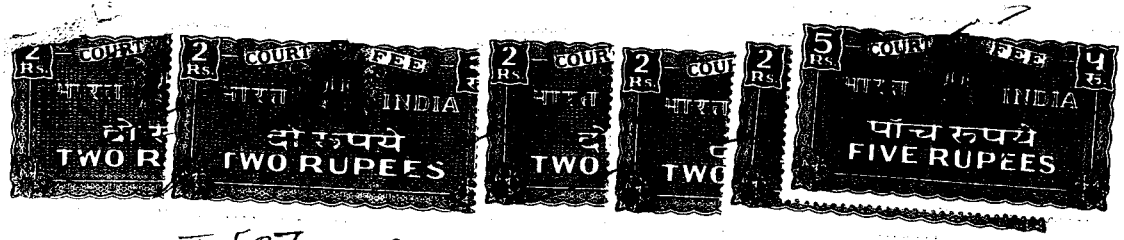

R 852-II/07

निगरानी याचिका कं0---07

आम जनता ग्राम सिमरी द्वारा भारतेन्दु प्रताप सिंह तनय श्री छोटे लाल सिंह साकिन सेमरी तहसील नार्गाद जिला सतना म0प्र0।

Presented by Shri Bhartendra Pratap Singh Applicant

आवेदक / निगरानी कर्ता

बनाम

श्री शेष प्रताप सिंह तनय श्री सुखदेव सिंह निवासी सेमरी तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0।

न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कं0 382/निगरानी/06–07 में पारित आदेश दिनांक 21.03.07 के विरूद्ध म0प्र0भू0रा0 सहिता 1959 के धारा 50 के आधीन निगरानी याचिका ।

आवेदक ने निगरानी कर्ता का निवेदन प्रथमतः निम्न बिन्दुओं की ओर करना आवश्यक है ।

1. यह की अनावेदक गैर निगराकार शेष प्रताप सिंह पूर्व पवाई दार सुखदेव सिंह के पुत्र है सुखदेव सिंह का देहान्त 1975 में हो चुका है ।

2. यह कि पूर्व पवाई दार की पवाई विंध्य प्रदेश जागीर उनमूलन अधिनियम एवं भू सुधार 1952 के अधीन समाप्त हो गई है । उक्त अधिनियम के अधीन पवाई दार के समस्त अधिकार समाप्त हो गए ।

3. यह कि पूर्व पवाई दार में सीर खुदकास्त की भूमि का पटटेदार घोषित करने के लिए तहसीलदार नागौद के न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया जिसपर तहसीलदार द्वारा पूर्ण जॉच उपरान्त पवाईदार जो सीर खुदकास्त की भूमि खुद जोती बोई जाकर कास्त की जाती थी प्रकरण कं0 307 आदेश दिनांक 02.04.59 के द्वारा पटटेदार घोषित किया गया है । शेष सीर खुदकास्त की भूमि जो जागीर

..........पेज 2

21/3/07

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 852–दो/07 जिला –सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
2/05/17	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर बताया गया हैं कि अनावेदक की मृत्यु दिनांक 20.9.2013 को हो चुकी है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.3.2017 तक उनके द्वारा वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अनावेदक कॉ मृत्यु लगभग 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अनावेदक की मृत्यु का प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर प्रकरण अवैट (उपसमित) हो चुका है। अतः प्रकरण अवैट होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	